राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :–एफ.28( )पंरावि/प्र.2/ग्रा.से.भर्ती/ सत्यापन/पार्ट/2018/595 जयपुर,दिनांकः–25/02/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – जयपुर।

विषय :– ग्राम सेवक सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा ग्राम सेवक सीधी भर्ती–2016 में ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव के पद हेतु सफल रहे अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करवाई गई है । अभ्यर्थियों की मैरिट एवं उनकी प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटन निम्नानुसार किया जाता है :–

S. No.	Roll No.	Merit No.	Candidate Name	Father Name	Gender	Sel. Cat	HORIZ	Allocation
1.	358532	10048	HEMANT ALARIA	CHANDGI RAM	Male	SC		JAIPUR

आपके जिले को आवंटित पात्र अभ्यर्थियों के फार्म की प्रतियां अलग से भिजवाई जा रही है । सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे समस्त आगामी कार्यवाही समयबद्व रूप से पूर्ण करेंगे ।

चयन एवं पंचायत समिति आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित किया जाना एवं इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समितियों की प्रशासन एवं स्थापना समितियों की बैठक आयोजित कर नियुक्ति/पदस्थापन बाबत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जायें ।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन हेतु पूर्व में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.28 ( )पंरावि/प्रशा.2/ग्रा.से.भर्ती/पार्ट/2016/4322 दिनांक 17.11.2017 में उल्लेखित प्रक्रिया/निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे ।

ग्राम सेवक सीधी भर्ती–2016 में अन्तिम रूप से चयनित उक्त अभ्यर्थियों का चयन एवं पदस्थापन याचिका सं. एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 8982/2017, याचिका सं. एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 10296/2017, याचिका सं. एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 9696/2017 के अध्यधीन रहेगा । इस आशय का नोट इनके पदस्थापन आदेश में अंकित किया जावे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(दिनेश कुमार जांगिड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रशिक्षण) पंचायती राज, मुख्यालय ।
7. शासन उप सचिव (विधि), पंचायती राज, मुख्यालय ।
8. प्रोग्रामर, पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
9. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव